

झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू०पी० (एस) संख्या 2768 वर्ष 2008

मंजू टोप्पो

... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, राँची
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई०सी०डी०एस, राँची
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, राँची सदर, राँची

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्ता के लिए: कोई नहीं।

उत्तरदाताओं के लिए: श्री राहुल देव, एस०सी० (एल० एंड सी०)-II के
ए०सी०

18 / दिनांक: 2 अगस्त, 2021

वी०सी० के माध्यम से सुना।

2. बार—बार पुकार करने पर भी याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए।

3. आदेश पत्र से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 15.07.2021 को याचिकाकर्ता के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

4. एक पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को आंगनबाड़ी सेविका के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में सी0डी0पी0ओ0 ने डी0पी0ओ0, राँची को संबोधित अपने पत्र दिनांक 25.06.2007 में कहा कि टोला के निवासी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है और उसके बाद एक जांच की गई और बाद में उक्त जांच के अनुसार इस याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ भी दिया गया, जिसका याचिकाकर्ता ने विधिवत जवाब दिया और अंत में दिनांक 13.03.2008 को सेवा समाप्ति का आदेश पारित किया गया।

5. श्री राहुल देव, प्रतिवादी-राज्य के लिए उपस्थित होकर कहते हैं कि याचिकाकर्ता को हटाने के तथ्य के रूप में प्रतिवादी द्वारा कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं की गई है, बल्कि उसे हटाया जाना परिपत्र दिनांक 02.06.2006 के अनुसार था, हालांकि, वह प्रस्तुत करते हैं कि सेवा समाप्ति की तारीख से सहायिका, सहायक इंचार्ज सेविका के रूप में भी काम कर रही है।

6. 17.06.2021 के पूरक जवाबी हलफनामे का अनुच्छेद सं0 18 इस प्रकार है:

18. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि शकुंतला देवी जो सहायिका के रूप में काम कर रही थीं, वे भी प्रभारी सेविका के रूप में काम कर रही हैं क्योंकि आज तक सेविका का

कोई नया चयन इस कारण से नहीं किया गया है कि मामला माननीय न्यायालय के समक्ष लम्बित है।

7. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, यह रिट आवेदन, इसके द्वारा, सरकार के कानून, नियम, विनियमन और लागू अधिसूचना के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका के पद को भरने के लिए प्रतिवादी-राज्य को स्वतंत्रता देकर निपटाया जाता है। लंबित आई०ए० यदि कोई हो तो उसे भी निपटाया जाता है।

(दीपक रोशन, न्याया०)